

(5)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

फॉर्म : 145 / प्र०आ०(त०स०-२) / जौन-५ / पु०हा० / २०१३-१४ दिनांक १६/०६/२०१४


अनुमति-पत्र


यह अनुमति उम्मा नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस गृहि के लगभग में जिस पर समूह आवास (अफॉडेबुल) मानचित्र स्थीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी रक्षानीय निकाय या इसका रक्षानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकना अधिकारों पर कोई असर नहेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिकता या रक्षानीय के विषय कोई प्रभाव नहीं डालेगा।


श्री निशीष वर्मा पुत्र स्वा० आर०ए० वर्मा सचिव, सिटीजन हाउसिंग एण्ड डेवलपमेंट को-ऑपरेटी सौनायली लिमिटेड द्वारा आराजी संख्या-७३७ गौजा-आर्द्धवा परगना-झूसी, तहसील-फूलपुर, जिला इलाहाबाद (सेक्टरल २७८०.०० रायगढ़ीटर) पर जोन संख्या (६) के अन्तर्गत समूह आवास (अफॉडेबुल) बहुमजिले भवन के निर्माण हेतु दायित मानचित्र के प्रस्तावित गार गर निर्माण की अनुमति उपायक भवेदय के अनुगोदनादेश दिनांक ११.०६.२०१४ के क्रम निर्मायित प्रतिक्रिया के अधीन प्रदान की जाती है :-


१. उम्मा नगर नियोजन एवं विकास प्राधिकरण 1973 की धारा 15 व (१) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपायक/अधिभोग किया जायेगा। भवन निर्माण एवं विकास उपयोगी २००३ में उपविधि संख्या-२.१.८ एवं ३.१.८ से निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का अनुशयक है।
२. यह स्थीकृति अनन्तिम (Provisional) स्थीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आदेशक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्माता किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर वा वासाधिक उपलोग गे लाया जा सकेगा।
३. स्थल पर ४X३ फिट का एक छोर्ता लागाकर प्राधिकरण द्वारा स्थीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
४. रेखां पर (१५) अद्द वृक्ष लगाने होने तथा दृश्य को हरा-हरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
५. रेलवाहर होर्डिंग का लार्य भानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-रम्भ जल विभाग से अनावृत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उत्पाद्यात् जगा एफ०डी०आर० अवमुक्त किया जायेगा।
६. सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना, संयोजन प्लान, किवें, बाधरक्षण में दर्जीत करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
७. उम्मा एपार्टमेंट एवं २०१० एवं २०११ का अक्षरशः पालन करना होगा।
८. प्रस्तुत रामूह आवास मानचित्र ८६ आवासीय इकाई हेतु है एवं २ कनविशियन रोप (A.T.M) सहित अतिरिक्त इकाईयों का निर्माण पूर्णतया निर्विघ्न होगा।
९. समस्त आनंदिक पिकास कार्य रूपतः पूर्ण करना होगा।
१०. भविष्य में दूनों द्वारा मानचित्र की स्थीकृति पर कोई भी आपत्ति/प्रतिक्रिया आरोपित किये जायेंगे तो वह निर्माण/विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी। इसमें प्राधिकरण का कोई सरोकार नहीं होगा और न ही प्राधिकरण से कोई अनुतोष हेतु दावा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में दिये गये जापथ पत्र दिनांक २३.१०.२०१३ का अनुपालन अक्षरशः श्री बनों करे भी करना होगा।
११. भविष्य में इस भूखण्ड का दिस्तारीकरण ३००० वर्गमीटर से अधिक गृहों पर प्रतापित करने पर स्थीकृत/प्रस्तावित इकाई के सापेक्ष शास्त्रादेश दिनांक २६.०९.२०११ के क्रम में १०-१०% EWS/LIG श्रेणी के भैलौटों का निर्माण बाध्यकारी होगा।

Continued











FRONT ELEVATION



LEFT SIDE ELEVATION



SECTION AT A-B-C



BACK SIDE ELEVATION



RIGHT SIDE ELEVATION

**DRG., SITE PLAN, LINE DIAGRAM PLAN, KEY
PLAN AND R.W.H. DETAILS**

**PROPOSED AFFORDABLE GROUP
HOUSING BUILDING PLAN ON PART
OF ARAZI NO.-737, AT MAUZA
ANDAWA, PARGANA JHUNSI, TEHSIL
PHOOLPUR, DISTT. ALLAHABAD**

OWNERS
M/S CITIZEN HOUSING AND
DEVELOPING CO-OPERATIVE
SOCIETY LIMITED

**ARCHITECTURAL DESIGNER, ESTIMATOR'S
ESTIMATOR'S, PLANNER'S & BUILDER'S
HOME MAKER'S AND
CONSULTANT
1/210-A NAYA PURA STANLEY ROAD
BLAMBARAD. PH 0532-2250485**

